

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (कैम्प कोर्ट बाना)

मुकदमा नम्बर :- 66/2021

निर्णय दिनांक :- 08.10.2021

प्रभूराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निचारी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी—

—बनाम—

1. पन्नाराम
2. सीताराम पुत्रगण रतनाराम जाति जाट निचारी बाना
3. गणेशाराम तहसील श्रीडूंगरगढ़
4. रामप्यारी पत्नि सीताराम
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित:-

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी की तरफ से
2. राजाराम नैण अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

वाद अर्न्तगत धारा 53,88,188 रास्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद प्रभूराम ने जरिये अधिवक्ता के माफत पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके विरासतन एवं संयुक्त परिवार की आय से अर्जित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 123 तादादी 3.6100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 124 तादादी 2.6900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 125 तादादी 2.7000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 126 तादादी 3.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 127 तादादी 3.0300 हैक्टेयर रोही खियाणीबासा, खसरा नंबर 666/251 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 665/251 तादादी 9.1200 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नंबर 46 तादादी 3.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 तादादी 3.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 49 तादादी 2.5200 हैक्टेयर रोही बाना, खसरा नंबर 41 तादादी 11.3300 हैक्टेयर रोही केऊ में स्थित है। वादगत खेतों का आपसी पारिवारिक विभाजन में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हो चुका है जो निम्न सारणी के अनुसार है:-

क्रमा.	नाम	रोही	खसरा नम्बर	तादादी	हिसा	टिप्पणी
1	प्रभूराम	खियाणीबासा	124	2.6900	0.3700	दक्षिणी
			125	2.7000	1.3479	उत्तरी पश्चिमी
			127	3.0300	3.0300	सम्पूर्ण
			126	3.0400	2.7671	दक्षिण
	केऊ	41	11.3300	2.5900	दक्षिणी पश्चिमी	
	कुल	2	5	कुल	10.1260	40 बीघा
2	सीताराम	बाना	47	3.0000	3.0000	सम्पूर्ण
			48	0.0100	0.0100	सम्पूर्ण
			49	2.5200	2.5200	सम्पूर्ण
	केऊ	41	11.3300	5.6442	उत्तरी	
	कुल	2	4	कुल	11.2342	44 बीघा व विरवा
3	पन्नाराम	खियाणीबासा	123	3.6100	3.6100	सम्पूर्ण
			124	2.6900	2.3200	उत्तरी
			125	2.7000	1.3521	पूरी
			126	3.0600	0.2529	उत्तरी पूर्वी
	केऊ	41	11.3300	2.5900	दक्षिणी पूर्वी	
	कुल	2	5	कुल	10.1260	40 बीघा
4	गणेशाराम	सालासर	665/251	9.1200	9.1200	सम्पूर्ण
			666/251	0.5000	0.5000	सम्पूर्ण
	केऊ	41	11.3300	0.5058	पूरी	
	2	3	कुल	10.1268	40 बीघा	
5	रामप्यारी	बाना	46	3.0300	3.0300	सम्पूर्ण



(Signature) अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उक्त वादगत खेतों का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य आपसी पारिवारिक विभाजन हो चुका है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 में उपरोक्त सारणी के अनुसार हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार वादी का कब्जा-काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी उक्त खसरा नंबर 123 तादादी 3.6100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 124 तादादी 2.6900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 125 तादादी 2.7000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 126 तादादी 3.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 127 तादादी 3.0300 हैक्टेयर रोही खियाणीबास, खसरा नंबर 666/251 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 665/251 तादादी 9.1200 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नंबर 46 तादादी 3.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 तादादी 3.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 48 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 49 तादादी 2.5200 हैक्टेयर रोही बाना, खसरा नंबर 41 तादादी 11.3300 हैक्टेयर रोही केरु में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहता है एवं इसी अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा-काश्त की भूमि पर सुधार कार्य क. रवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बन्धित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादी ने प्रतिवादी से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से दिनांक 25.05.2021 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 25.05.2021 को वादगत खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और वादी को धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है। हम वादगत को में से तुम्हे बेदखल कर देंगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देंगे। वादगत खेतों में वादी का कब्जा काश्त होने एवं वादी व प्रतिवादी का संयुक्त खातेदारी के होने व प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.05.2021 की इनकारी से वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक वादी का कब्जा काश्त होने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेतों में आये हुए वादी के हक हिस्से से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुड़ाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनांक :- 25.05.2021 को धमकी दी और प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नहीं देंगे। और इन खेतों के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब वादी ने दिनांक 25.05.2021 को ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से वादी के हिस्से की भूमि की घोषणा कराने तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हें वादगत खेतों में से एक बिस्वा भी भूमि नहीं देगे और खेतों से बेदखल कर देंगे व खेत को विक्रय कर देंगे इसलिए वादी को दिनांक 25.05.2021 को प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा, खाता विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का वाद हेतु (कॉज ऑफ एक्शन) उत्पन हो गया है। वादी का वादगत खेतों में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रूप से चला आ रहा है। वादी को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक एवं संयुक्त परिवार की कृषि भूमि की खातेदारी की हककों का विभाजन करवाना जरूरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन वादी को दिनांक 25.05.2021 प्राप्त हो गया है। कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादी के कब्जा काश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। वादी को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। वादी को वादगत रकबा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा-काश्त पिछले 30-35 वर्षों से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा वादी के खेतों विक्रय कर दिया तो वादी को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। वादी उक्त खेतों को शुरु से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने दिनांक 25.05.2021 को वादी को वादगत पर प्रवेश न करने, कृषि कार्य नहीं करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेतों को विक्रय करने की धमकियां दी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादगत खेत में उनके हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
श्रीद्वारगढ़ (बीकानेर)

भूमि की खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने वाकत निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने साफ इनकार कर दिया और धमकिया दी कि तुमको वादगत खेतों में न तो घुसने देंगे, ना ही तुम्हारे हिस्से की भूमि लेने देगे, वादगत खेतों से वेदखल कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर देंगे इस प्रकार वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा दी गई धमकी की दिनांक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेतों में वादी का हिस्सा निहित होने से वादाधार प्राप्त हैं इसलिए वादी द्वारा उक्त दावा घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने उक्त दावा प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणात्मक व विभाजन के अनुतोष का चाहा है। उक्त दावे में प्रतिवादी संख्या 13 के रूप राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है। स्टेट को दावा खाता तरमीम के ऑपचारिक पक्षकार बनाया गया है। स्टेट के विरुद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गया है। घोषणात्मक के दावे में दावा के अनुतोष में दावा दायरी से दो माह पूर्व जाब्ता दीवानी की धारा 80(1) सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त दावा अत्यन्त ही अर्जेंट नेचर का है। अगर राजस्थान सरकार को दो माह का नोटिस देकर इन्तजार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने गलत इरादे मे सफल हो जायेगा और दावा का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इसलिए दावा दायरी से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. की छूट हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छूट प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त दावा में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया। वादगत खेत तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा उचित न्याय शुल्क पर समयावधि के भीतर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री आज्ञाप्त फरमाई जावे :-

क. यह है कि वादी को खसरा नंबर 124 तादादी 2.6900 हैक्टेयर में से 0.3700 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा नम्बर 125 तादादी 2.7000 हैक्टेयर में से 1.3479 हैक्टेयर उत्तरी पश्चिमी, खसरा नम्बर 126 तादादी 3.0400 हैक्टेयर में से 2.7871 हैक्टेयर दक्षिणी, खसरा नम्बर 127 तादादी 3.0300 हैक्टेयर सम्पूर्ण रोही खियाणीवास, खसरा नम्बर 41 तादादी 11.3300 हैक्टेयर में से 2.5900 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी रोही केऊ का खातेदार घोषित किया जाकर मद संख्या 2 में अंकित सारणी अनुसार अलग से खाता विभाजन किया जावे व तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

ख. यह है कि प्रतिवादी को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नंबर 123 तादादी 3.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 तादादी 2.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 2.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 तादादी 3.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 तादादी 3.0300 हैक्टेयर रोही खियाणीवास, खसरा नंबर 666/251 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665/251 तादादी 9.1200 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नम्बर 46 तादादी 3.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 तादादी 3.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 तादादी 2.5200 हैक्टेयर रोही बाना, तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी के कब्जे काशत में मदाखलत वेंजा नहीं करें ना करावे उक्त खसरा के किसी भी भाग को विक्रय, रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें ना किसी अन्य से करावे जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हो। दौराने दावा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

ग. यह है कि प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नंबर 123 तादादी 3.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 तादादी 2.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 2.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 तादादी 3.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 तादादी 3.0300 हैक्टेयर रोही खियाणीवास, खसरा नंबर 666/251 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665/251 तादादी 9.1200 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नम्बर 46 तादादी 3.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 तादादी 3.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 तादादी 2.5200 हैक्टेयर रोही बाना, खसरा नंबर 41 तादादी 11.3300 हैक्टेयर रोही केऊ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खातेदारी दर्ज कर उपरोक्त सारणी के अनुसार खाता विभाजन कर अलग से राजस्व

Signature
उपखण्ड अधिकारी
(न्यायालय)

रिकार्ड व राजस्व अक्स में संधारण करें। तदनुसार ही अलग पास बुक जारी कर लगान कायम करें।

घ. यह है कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हो जावे, वह भी वादी को प्रदान किया जावे।

ड. यह है कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को राजीनामों के जरिये वाद को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया।

-निर्णय-

खेत खसरा नंबर 123 तादादी 3.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 तादादी 2.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 2.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 तादादी 3.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 तादादी 3.0300 हैक्टेयर रोही खियाणीबास, खसरा नंबर 666/251 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665/251 तादादी 9.1200 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नम्बर 46 तादादी 3.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 तादादी 3.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 तादादी 2.5200 हैक्टेयर रोही बाना, खसरा नंबर 41 तादादी 11.3300 हैक्टेयर रोही केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ का वादी एवं प्रतिवादीगण का निम्न सारणी के अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तहसीलदार श्रीडूंगरगढ प्रतिवादी संख्या 03 गणेशाराम को अधिक दिये गये हिस्सा (0.7248 हैक्टेयर) पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खाता विभाजन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

क्र.स.	नाम	रोही	खसरा नम्बर	तादादी	हिस्सा	टिप्पणी
1	प्रभूसम	खियाणीबास	124	2.6900	0.3700	दक्षिणी
			125	2.7000	1.3479	उत्तरी पश्चिमी
			127	3.0300	3.0300	सम्पूर्ण
			126	3.0400	2.7871	दक्षिण
		केऊ	41	11.3300	2.5900	दक्षिणी पश्चिमी
	कुल	2	5	कुल	10.1250	40 बीघा
2	सीताराम	बाना	47	3.0600	3.0600	सम्पूर्ण
			48	0.0100	0.0100	सम्पूर्ण
			49	2.5200	2.5200	सम्पूर्ण
		केऊ	41	11.3300	5.0442	उत्तरी
		कुल	2	4	कुल	11.2342
3	पनाराम	खियाणीबास	123	3.6100	3.6100	सम्पूर्ण
			124	2.6900	2.3200	उत्तरी
			125	2.7000	1.3521	पूर्वी
			126	3.0600	0.2529	उत्तरी पूर्वी
		केऊ	41	11.3300	2.5900	दक्षिणी पूर्वी
		2	5	कुल	10.1250	40 बीघा
		कुल	2	4	कुल	11.2342
4	गणेशाराम	सालासर	665/251	9.1200	9.1200	सम्पूर्ण
			666/251	0.5000	0.5000	सम्पूर्ण
		केऊ	41	11.3300	0.5058	पूर्वी
		2	3	कुल	10.1258	40 बीघा
5	रामधारी	घाना	46	3.0300	3.0300	सम्पूर्ण

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को कैम्प कोर्ट बाना में सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।



(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी
 शिविर प्रभासी एवं उपखण्ड अधिकारी
 श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिक्री

मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ (कैम्प कोर्ट बाना)

उनवान

प्रभूराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

बनाम

1. पन्नाराम 2. सीताराम 3. गणेशाराम पुत्रगण रतनाराम 4. रामप्यारी पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी

बाना तहसील श्रीडूंगरगढ 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ

दावा बाबत घोषणा, विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 66/2021

निर्णय दिनांक 08.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रुबूक अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री राजाराम नैण अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 123 तादादी 3.6100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 तादादी 2.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 2.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 तादादी 3.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 तादादी 3.0300 हैक्टेयर रोही खियाणीबास, खसरा नंबर 666/251 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 665/251 तादादी 9.1200 हैक्टेयर रोही सालासर, खसरा नम्बर 46 तादादी 3.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 47 तादादी 3.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 तादादी 2.5200 हैक्टेयर रोही बाना, खसरा नंबर 41 तादादी 11.3300 हैक्टेयर रोही केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ का वादी एवं प्रतिवादीगण का निम्न सारणी के अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तहसीलदार श्रीडूंगरगढ प्रतिवादी संख्या 03 गणेशाराम को अधिक दिये गये हिस्सा (0.7248 हैक्टेयर) पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के खाता विभाजन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

क्र.स.	नाम	रोही	खसरा नम्बर	तादादी	हिस्सा	टिप्पणी
1.	प्रभूराम	खियाणीबास	124	2.6900	0.3700	दक्षिणी
			125	2.7000	1.3479	उत्तरी पश्चिमी
			127	3.0300	3.0300	सम्पूर्ण
			126	3.0400	2.7871	दक्षिण
		केऊ	41	11.3300	2.5900	दक्षिणी पश्चिमी
कुल	2	5	कुल	10.1250	40 बीघा	
2	सीताराम	बाना	47	3.0600	3.0600	सम्पूर्ण
			48	0.0100	0.0100	सम्पूर्ण
			49	2.5200	2.5200	सम्पूर्ण
		केऊ	41	11.3300	5.6442	उत्तरी
कुल	2	4	कुल	11.2342	44 बीघा 8 बिस्वा	
3	पन्नाराम	खियाणीबास	123	3.6100	3.6100	सम्पूर्ण
			124	2.6900	2.3200	उत्तरी
			125	2.7000	1.3521	पूर्वी
			126	3.0600	0.2529	उत्तरी पूर्वी
		केऊ	41	11.3300	2.5900	दक्षिणी पूर्वी
		2	5	कुल	10.1250	40 बीघा
4	गणेशाराम	सालासर	665/251	9.1200	9.1200	सम्पूर्ण
			666/251	0.5000	0.5000	सम्पूर्ण
		केऊ	41	11.3300	0.5058	पूर्वी
		2	3	कुल	10.1258	40 बीघा
5.	रामप्यारी	बाना	46	3.0300	3.0300	सम्पूर्ण

तहसीलदार, श्री डूंगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज.....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0...फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 08 माह 10 सन् 2021 को जारी किया गया।



(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

श्री डूंगरगढ